न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 53/18

गनी पुत्र वजीरा जाति गददी निवासी दोनायचा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 3/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मु0न0 452/16 निर्णय दिनांक 30.1.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री कमलेश गुर्जर
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 17.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 3/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 452/16 दिनांक 30.1.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय दिनांक 30.1.17 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम दौनायचा के आराजी ख0न0 1220 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 1251 रकबा 0.34 है0 चारागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से गेहूँ व सरसो की फसल की काश्त करने का कर्ता मानकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित कर मौके से बेंदखल करने के अतिरिक्त 30 दिवस मे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलाट द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि निर्णय दोनो अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही कर अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1220 व 1251 कुल रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि इस संबंध मे पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो की पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट है। अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने संबंधी कोई रिकार्ड नही होने पर भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोंडने का शपथ पत्र भी अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। क्योकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्राप्त की जाकर की गई है। तथा अपीलार्थी स्वयं अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के यहॉ उपस्थित भी हुआ है। अपीलार्थी सरकारी भूमि पर अतिचार करने का आदि होने के कारण ही उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म चारागाह भूमि है। जो बेजुवान जानवरो के चरने के काम आती है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियो की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा तथा बेजुवान जानवरो के साथ अन्याय होगा। अतः अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये निर्णयो मे किसी प्रकार की अनियमतिता नही है। निर्णय विधि अनुरूप किये गये है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1220 व 1251 कुल रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाने के फलस्वरूप ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलांर्थी के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा

Scanned by CamScanner

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अतिचार नही होने के सबंध मे साक्ष्य सबूत पेश करने की अपेक्षा की गई थी। अपीलांर्थी द्वारा स्वयं नोटिस की प्रति प्राप्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा अतिचार नही होने बाबत किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया । अपीलांर्थी द्वारा आराजी ख0न0 1220 पर गेहूँ एवं ख0न0 1251 पर सरसो की फसल काश्त करके अतिचार किया गया है एवं बार बार अतिचार करने के उपरान्त ही पटवारी हल्का द्वारा पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा कब्जा की गई भूमि का रकबा काफी बडा है एवं किस्म भी चारागाह है जो बेजूबान जानवरो के चरने के काम मे आती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये है वह विधि अनुरूप है। उनमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 3/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मु0न0 452/16 निर्णय दिनांक 30.1.17 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17.10.19.

(बी0एल0 रामण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 13:46:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: